न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 61 / 2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025 / 178

अपीलान्ट		रेस्पोडेन्ट
बंशीलाल पुत्र श्री मोहनलाल, जाति माली, निवासी बोहरों का बास, परबतसर तहसील परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन।	बनाम	1. पटवारी, पटवार हल्का परबतसर।

अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार परबतसर बअनुवान पटवार हल्का परबतसर बनाम बंशीलाल राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) निर्णय दिनांक 31.10.2025 को अपास्त करने बाबत्।

–: निर्णय :–

दिनांक: 09.03.2026

अपीलान्ट की ओर से अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी, पटवार हल्का, परबतसर द्वारा दिनाक 17.10.2025 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि सम्वत् 2082 फसल खरीब में ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 453 रकबा 7.03 हैक्टेयर किस्म गै० मु० पहाड़ में से 0.3225 हैक्टेयर की भूमि पर बाड़ा / बाड़ लगाकर अप्रार्थी द्वारा पश्चावर्ती अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिंनाक 30.10.2025 को मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी / पटवारी, पटवार हल्का, परबतसर ने न्यायालय में प्रस्तुत टी.पी. रिपोर्ट सही होना तथा ग्राम परबतसर के खसरा नं0 453 रकबा 7.53 हैक्टेयर किस्म गै० मु० पहाड़ में से 0.3225 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी द्वारा पश्चावर्ती अतिक्रमण किये जाने का कथन किया तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत दर्ज उक्त प्रकरण को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध जुर्माना अधिरोपित तथा भौतिक बेदखली के आदेश पारित किये जाने का जिक किया। न्यायालय रिकॉर्ड अनुसार मु० नं0 35 / 2025 का प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण करने से संबंधित विचाराधीन रहा, जिसका निर्णय दिंनाक 04.08.2025 की तकमील में तत्कालीन तहसीलदार, परबतसर ने राजस्व टीम व पुलिस जाप्ता द्वारा दिनांक 10.09.2025 को अतिक्रमण हटाया है। अपीलार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) की सपठित धाराओं के अन्तर्गत परबतसर ने खसरा नम्बर 453 रकबा 7.0300 हैक्टेयर गै० मुमकिन पहाड़ की भूमि में से 0.3225 हैक्टेयर भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के तहत तीन माह के साधारण कारावास की सजा से एवम् लगान का 50 गुणा 75 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुये अतिक्रमण भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। जुर्माना वसूली एवम् बेदखली हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक परबतसर एवम् पटवारी हल्का, परबतसर एवम् तहसील राजस्व लेखाकार को पाबन्द किया। साधारण कारावास की सजा हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना, परवतसर को वारंट जारी किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से अपील निम्न आधारों पर पेश है:–विद्वान अधिनस्थ [illegible] निर्णय दिंनाक 31.10.2025 को पारित किये जाने में अपीलार्थी को दण्डित करने [illegible] दिये जाने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। जिससे अपीलार्थी की [illegible] है। अपीलार्थी को वाके शरहद परबतसर खसरा नम्बर 453 रकबा 7.03 हैक्टेयर किस्म गै० मु० पहाड़ की भूमि [illegible]पश्चातवर्ती अतिक्रमण पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर होने में भारी विधिक भूल जबकि पूर्ववर्ती प्रकरण में अतिक्रमण अन्य स्थान पर बताया व पश्चातवर्ती रिपॉर्ट में अन्य स्थान पर कब्जा बताया है, जो अपने आप में विरोधाभाषी है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 16:05:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

नहीं कर आदेश पारित कर दिया, जिससे भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में कोई साक्ष्य न लेकर केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मान कर आदेश पारित कर दिया, जबकि खसरा नम्बर 455 की खातेदारी भूमि में अपीलार्थी सहखातेदार है तथा खसरा नम्बर 454 की खातेदारी अन्य की है, जिस बाबत कोई गौर नहीं कर अपीलार्थी को दण्डित करने में भारी विधिक भूल की है, जिससे भी अपील स्वीकार की जाने योग्य है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91(3) में प्रावधान है कि अपीलार्थी को अपील करने की अवधि तक मुचलके पर छोड़ने की आज्ञा देना आवश्यक है, जिस पर भी कोई गौर नहीं कर आदेश व ऑर्डर सीट दिंनाक 31.10.2025 के द्वारा अपीलार्थी को जरिये गिरफ्तारी वारन्ट प्रस्तुत कर दिया तथा अपीलार्थी को समुचित अवसर नहीं देकर भी न्यायोचित आदेश नहीं दिया, जिससे भी यह अपील स्वीकार की जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, उसके खसरा नम्बर 456 भी दर्ज कर रखा है, मगर उक्त खसरा नम्वर 456 मौके पर नहीं है। जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण केवल मात्र रंजिश व द्वैषता वंश झुठा पेश किया है। अपीलार्थी की उक्त प्रकरण में बिना साक्ष्य के ही प्रकरण का निस्तारण तीव्रगति से कर दिया, जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2025 को अपास्त करने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक कोर्ट/2025/477 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा तहसीलदार परबतसर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार परबतसर के पत्र क्रमांक कोर्ट/2025/1734 दिनांक 21.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार परबतसर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया कि पटवारी हल्का परबतसर द्वारा ग्राम परबतसर के खसरा संख्या 453 कुल रकबा 7.03 हैक्ट. में से 2.4500 हैक्ट, किस्म गै.मु. पहाड पर संवत् 2082 में बाड लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश की जिस पर न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 35/2025 दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित अतिक्रमी हो नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना जाहिर किया गया। जिस पर संबंधित पटवारी से पुनः जांच करवाये जाने पर खसरा संख्या 453 में मौके पर अतिक्रमण यथावत होना पाया गया। प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर दिनांक 04.08.2025 को निर्णय पारित किया जाकर ग्राम परबतसर के खसरा संख्या 543 रकबा 7.0300 हैक्ट. गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि में से 2.45 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर जुर्माना अधिरोपित किया जाकर अप्रार्थी का मौके से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये गये। भू.अ. निरीक्षक परबतसर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर अतिक्रमी द्वारा लडाई झगडे पर उत्तारू होने से अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस जाप्ते की मांग की गई। जिस पर कार्यालय के आदेश क्रमांक राजस्व/2025/1295 दिनांक 28.08.2025 द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा दिनांक 10.09.2025 को मौका फर्द तैयार की जाकर खसरा संख्या 453 किस्म गै.मु. पहाड़ का पैमाइश करके चिन्हीकरण किया जाकर मौके से अतिकमण हटाया गया। पटवारी हल्का परबतसर द्वारा दिनांक 17.10.2025 को पश्चातवर्ती अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर ग्राम परबतसर के खसरा संख्या 453 रकबा 7.03 हैक्ट. में से 0.3225 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण वावत पेश की [illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधि. 1956 की धारा 91(3) के तहत प्रकरण संख्या 36[illegible]25 [illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी [illegible] वकील[illegible] एवं जवाब पेश किया जो शा.मि. किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] स्वीकार किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की विधिवत सुनवाई क[illegible]025 को निर्णय पारित किया गया एवं ग्राम परबतसर के खसरा संख्या 453 रकबा 7.0300 हैक्ट, गै.मु. पहाड रकबा 0.3225 हैक्ट, भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:05:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के तहत तीन माह के साधारण कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए बेदखल के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी द्वारा ग्राम परबतसर के खसरा संख्या 453 रकबा 7.03 हैक्ट, किस्म गै.मु. पहाड की भूमि में से 2.4500 हैक्ट. भूमि पर पूर्व में एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण में 0.3225 हैक्ट, भूमि पर अतिक्रमण किया गया। अप्रार्थी द्वारा पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 35/2025 में प्रस्तुत जवाब में खसरा संख्या 453 में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही होना जाहिर किया गया है एवं पश्चावर्ती प्रकरण संख्या 36/2025 में अप्रार्थी द्वारा स्वयं 13 बीघा भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया गया है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को सुनवाई हेतु प्रयाप्त अवसर प्रदान किया गया है एवं विधिवत्त सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। अप्रार्थी द्वारा पश्चावर्ती प्रकरण में प्रस्तुत जवाब एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम परबतसर के खसरा संख्या 453 में अतिक्रमण किया गया है। ग्राम परबतसर के खसरा संख्या 453 किस्म गै.मु. पहाड पर अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौके पर पश्चातर्वी अतिक्रमण पाये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विधिवत रूप से वाद सुनवाई निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पत्रावली सुनी गई। तहसीलदार परबतसर से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 35/2025 में प्रस्तुत जवाब में खसरा संख्या 453 में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही होना जाहिर किया गया है एवं पश्चावर्ती प्रकरण संख्या 36/2025 में अप्रार्थी द्वारा स्वयं 13 बीघा भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया गया है। न्यायालय तहसीलदार परबतसर द्वारा अप्रार्थी को सुनवाई हेतु प्रयाप्त अवसर प्रदान किया गया है एवं विधिवत्त सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। अप्रार्थी द्वारा पश्चावर्ती प्रकरण में प्रस्तुत जवाब एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम परबतसर के खसरा संख्या 453 में अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट द्वारा मौके पर पश्चातर्वी अतिक्रमण पाये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विधिवत रूप से बाद सुनवाई निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा पत्रावली पर व बहस में कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे जाहिर होता हो कि अपीलान्ट द्वारा पश्चावर्ती अतिक्रमण नही किया गया हो। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **09.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09.03.2026

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:05:09 IST
Reason: SelfAttested